म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ डी–17/16/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषयः–जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (अपेक्स बैंक) के संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यवाही बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा हरी एवं सफेद सूचियों के प्रोसेस फ्लो के संबंध में एम.पी. ऑनलाईन द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शी निर्देश संलग्न हैं। उपरोक्त मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रेषित प्रकरणों पर स्वीकृति संबंधी कार्यवाही अपनाने का कष्ट करें ।

2– जिला कलेक्टर द्वारा अपेक्स बैंक की प्रत्येक ब्रांच के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये जो कि द्वितीय श्रेणी के अधिकारी से अनिम्न न हो।

3– नोडल अधिकारी के निम्न दायित्व होंगे :–

(i) केवल उन प्रकरणों का परीक्षण करेंगे जिनमें आधार प्रमाणीकरण (Authentifiction) Demo- Authentification में नहीं हो सके हैं। जिन प्रकरणों में ऋण खाते का आधार प्रमाणीकरण MP SEDC द्वारा Demo-Authentification में किया जा चुका है उसमें पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे प्रकरणों को सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर द्वारा प्रदत्त secured login में पोर्टल पर ऋण खाते के अभिलेखों से पंच किए गए डाटा का प्रमाणीकरण कर पोर्टल पर submit कर सकेंगे। **MP Online द्वारा इस संबंध में पृथक–पृथक सूचियाँ प्रदर्शित की जावेंगी ।**

28
6/2/19

(ii) प्रकरणों के प्रमाणीकरण में वह केवल निम्न जानकारी ही प्रमाणित करेंगे :–

➢ बैंक के रिकार्ड में दर्ज आधार नम्बर/DMR (Digital Member Register) में दर्ज आधार नम्बर तथा हितग्राही द्वारा दर्ज आधार कार्ड में निम्न का ही प्रमाणीकरण करेंगे :–

- खाता धारक का नाम
- पिता/पति का नाम
- आधार क्रमांक
- आधार प्रमाणीकरण की स्थिति

(iii) ऋण खाते से संबंधित अन्य विवरण जैसे खाता क्रमांक 31.03.2018 को खाते में शेष दर्शाई जा रही राशि तथा ऋण खाते संबंधी अन्य जानकारी का प्रमाणीकरण संबंधित जिम्मेदारी ब्रांच मैनेजर की रहेगी और उक्त जानकारी के लिए नोडल अधिकारी किसी प्रकार से जवाबदार नहीं होंगें।

.......2/

(iv) चूँकि जानकारी प्रमाणीकरण के लिए नोडल अधिकारी/ब्रांच मैनेजर दोनों को ओटीपी सुविधा दी गयी है ओर जानकारी का प्रमाणीकरण दोनों के ओपीटी के द्वारा ही हो पायेगा। किसी एक के ओटीपी से जानकारी का प्रमाणीकरण नहीं हो पायेगा।

(v) अतः संबंधित कलेक्टर प्रत्येक ब्रांच के लिए को-ऑपरेटिव बैंक के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। उनके नाम तथा मोबाईल नम्बर एम.पी. ऑनलाईन को प्रेषित करें।

(vi) संबंधित नोडल अधिकारियों को इस संबंध में पृथक से प्रशिक्षित भी किया जाये और उनके द्वारा क्या-क्या व्यवस्थाएं एवं कार्यवाहियाँ देखनी हैं और क्या-क्या सावधानियाँ बरती जानी हैं, उसके बारे में भी भलीभांति अवगत करा दिया जावे।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांक/ डी-17/16/2018/14-3 भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ प्रेषित।

1- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
2- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3- श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
4- श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5- प्रमुख सचिव वित्त सह आयुक्त संस्थागत वित्त, संचालनालय भोपाल।
6- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7- प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
8- आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल।
9- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10- राज्य समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), भोपाल।
11- प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, टी.टी. नगर भोपाल।
12- श्री राजीव सियोदिया, सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल ।
13- समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
14- समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Circular file 8/2/2019

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग